

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक प.1(2)लाईट्स/प्रोजेक्ट/न्याय/2013/69

जयपुर, दिनांक:- 9-2-2016

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

जिला कलक्टर
(जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषय:- न्यायालय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी(OIC)की नियुक्ति करने
बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्याय विभाग के लाईट्स वेबसाइट
का नवीन संस्करण दिनांक 03.2.2016 से अस्तित्व में आ चुका है। अतः अब
समस्त न्यायालय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति प्रपत्र 1 व 2 में
इन्द्राज करने के प्रश्नात् जारी होने वाले नियुक्ति पत्र के माध्यम से ही की
जायेगी व वही नियुक्ति पत्र वैध होगा।

इस प्रक्रिया के अतिरिक्त न्यायालय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की
नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव
8.2.16

प्रमुख शासन सचिव